

विज्ञापन

संख्या : 12011/1/2010-रा.भा.(का0-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार : वर्ष 2009-10.

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए केंद्र सरकार के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा हिंदी में लिखी गई मौलिक पुस्तकें आमंत्रित करता है।

1. पात्रता तथा शर्तें :

- (i) योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक की हिंदी में मौलिक रचना हों।
- (ii) अनूदित पुस्तकें स्वीकार्य नहीं हैं।
- (iii) पुस्तक 01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 के दौरान प्रकाशित की गई हो। पांडुलिपि स्वीकार्य नहीं हैं।
- (iv) पुस्तक के लेखक केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शैक्षिक व प्रशिक्षण संस्थानों के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी हों। इस संबंध में पुस्तक के लेखक द्वारा अनुलग्नक 'ख' पर दिये गये प्रोफार्मा में एक प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित है। सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी अपनी प्रविष्टि अपने/पूर्व विभाग/ कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति के साथ(अनुलग्नक 'ग' पर दिए गए प्रोफार्मा में) इस विभाग को भेजें।
- (v) पुस्तक की विषयवस्तु केन्द्रीय सरकार के उक्त कार्यालयों/संगठनों/संस्थानों में कर्मचारियों द्वारा किए गए/ किए जा रहे कार्यों से संबंधित हो। मैनुअल, शब्दावलियां, संस्मरण, कविताएं, कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हैं।
- (vi) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठ की हो।
- (vii) पुस्तक किसी शैक्षिक या प्रशिक्षण संस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल न हो।
- (viii) लेखक इस आशय का प्रमाण-पत्र दें कि यह पुस्तक उनकी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट(यथासंशोधित), 1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है।
- (ix) प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की तीन प्रतियां अवश्य भेजी जाएं।
- (x) योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें वापिस नहीं की जा सकेंगी और इस संबंध में किसी अंतरिम पूछताछ का उत्तर नहीं दिया जाएगा।
- (xi) योजना के अंतर्गत प्रेषित सभी पुस्तकों पर विशेषज्ञ की राय अनुलग्नक 'क' पर दिए गए प्रोफार्मे में राजभाषा विभाग को भिजवाई जाए। विशेषज्ञों को पुस्तक की विषयवस्तु से संबंधित शब्दावली तथा हिन्दी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। विशेषज्ञ कोई गैर सरकारी व्यक्ति जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी या विश्वविद्यालयों/इंजीनियरिंग/ मेडिकल संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर आदि हो सकते हैं। पुस्तकों के मूल्यांकन से संबंधित मानदेय का दावा, यदि कोई हो, राजभाषा विभाग को न भेजकर, संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के प्रशासनिक प्रधान के पास भेजा जाए।

2. इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं :-

प्रथम पुरस्कार	- 40,000 रूपये तथा स्मृति चिन्ह
द्वितीय पुरस्कार	- 30,000 रूपये तथा स्मृति चिन्ह
तृतीय पुरस्कार	- 20,000 रूपये तथा स्मृति चिन्ह
प्रोत्साहन पुरस्कार	- 10,000 रूपये तथा स्मृति चिन्ह

3. पुस्तकों का मूल्यांकन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें राजभाषा विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा दो गैर सरकारी सदस्य होते हैं ।

4. प्रविष्टियां इस विभाग में दिनांक **20 अगस्त, 2010** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

5. प्रविष्टियां निम्न पते पर भेजी जाएं :-

उप निदेशक(कार्यान्वयन)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
कमरा नं. ए-3, ए विंग, द्वितीय तल,
लोकनायक भवन, खान मार्केट,
नई दिल्ली-110003.

6. इस योजना के बारे में सूचना हमारी वेबसाइट <http://rajbhasha.gov.in> पर उपलब्ध है ।

(रमेशबाबू अणियेरी)
निदेशक(का.)
दूरभाष : 24643622

विशेषज्ञों के लिए निर्देश

1. पुस्तकों के संबंध में विशेषज्ञ की राय पूर्णतया गोपनीय होगी । विशेषज्ञ कृपया अपना संस्तुति पत्र मोहरबंद लिफाफे में ही भेजें ।
2. कृपया लिफाफे के बाईं ओर निम्नलिखित सूचनाएं अंकित करें :-
 - (i) “इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार-संस्तुति पत्र”
 - (ii) लिफाफा राजभाषा विभाग की पुस्तक मूल्यांकन समिति की बैठक में ही खोला जाए ।
 - (iii) पुस्तक का नाम
 - (iv) विशेषज्ञ का नाम
3. विशेषज्ञ कृपया पुस्तक के संबंध में नीचे दिए गए संस्तुति पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर अपनी राय अवश्य दें । यदि जाँच के अन्य मानक बिन्दुओं का समावेश करना चाहें, तो अलग-से कर लें, परन्तु नियत बिन्दुओं पर अपनी निष्पक्ष राय अवश्य दें ।
4. “संस्तुति पत्र” का लिफाफा लेखक के संबंधित/अंतिम कार्यालय आदि के प्रशासनिक प्रधान के माध्यम से राजभाषा विभाग को भेजा जाए ।

पुस्तक का संस्तुति संबंधी प्रपत्र

1. पुस्तक का नाम
2. लेखक का नाम
3. क्या पुस्तक की विषय-वस्तु पर हिन्दी में यह पहली रचना है ?
4. क्या पुस्तक में प्रयुक्त तथ्य शुद्ध तथा अद्यतन है ?
5. क्या विषयवस्तु में मौलिकता का निर्वाह हुआ है ?
6. क्या लेखक की कृति अद्यतन चेतना तथा भविष्यगामी परिकल्पनायुक्त है ?
7. क्या पुस्तक सामान्य पाठक के लिए रोचक तथा उपयोगी है ?
8. कोई अन्य उल्लेखनीय विचार :-
9. समेकित रूप में विवेच्य पुस्तक किस श्रेणी में रखी जा सकती है :-

“क”	-	85% से ऊपर
“ख”	-	60% से 85% तक
“ग”	-	60% से कम

विशेषज्ञ के हस्ताक्षर :

नाम व पूरा डाक पता :

दूरभाष :

हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु
इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना वर्ष 2009-10

1. (क) लेखक का नाम
- (ख) पदनाम या पूर्व पदनाम
- (ग) कार्यालय या पूर्व कार्यालय का नाम और पता
- (घ) कार्यालय में लेखक द्वारा किए जा रहे/किए गए कार्य की प्रकृति
- (ङ) मंत्रालय / विभाग का नाम
- (च) लेखक का पूरा डाक पता(पिनकोड सहित)
-
- (छ) दूरभाष नं.(एस.टी.कोड सहित)/फैक्स
- (ज) लेखक का ई-मेल पता
2. पुस्तक का नाम
3. पुस्तक का विषय
4. प्रकाशक का नाम व पता
5. प्रकाशन का वर्ष माह
6. मैं.....पुत्र/पुत्री श्री केंद्र सरकार अथवा उसके अधीन कार्यालय आदि में कार्यरत हूँ /से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और कापीराइट एक्ट (यथा संशोधित),1997 के तहत किसी अन्य लेखक के कापीराइट का उल्लंघन नहीं करती है ।

दिनांक :

लेखक के हस्ताक्षर

*नोट : जो लागू न हों काट दें ।

अनुलग्नक “ग”

मंत्रालय/विभाग/सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय द्वारा सत्यापन तथा संस्तुति

लेखक द्वारा दिए गए उपर्युक्त तथ्यों तथा सम्बद्ध रिकार्ड के आधार पर उपर्युक्त कृति को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, वर्ष 2009-10 के विचार हेतु योग्य पाया गया है, एतदर्थ संस्तुति की जाती है ।

2. इस विभाग/कार्यालय द्वारा अब तक वर्ष 2009-10 के पुरस्कार के लिए सिफारिश की गई यह पहली/ दूसरी/ तीसरी/चौथी पुस्तक है ।

3. इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत हिन्दी में मौलिक पुस्तक-लेखन के पुरस्कार के लिए पूर्व में उक्त पुस्तक की सिफारिश नहीं की गई है ।

अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मोहर सहित हस्ताक्षर :

नाम :

दिनांक :

पदनाम :

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/संस्थान :

दूरभाष/फैक्स :

ADVERTISEMENT
No.12011/1/2010-OL(Impl.II)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

**INDIRA GANDHI OFFICIAL LANGUAGE AWARD SCHEME FOR THE YEAR
2009-10 FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI.**

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs invite books written in Hindi by the working/retired employees of the Central Government for the year 2009-10 under Indira Gandhi Official Language Award Scheme.

1. Eligibility :

- (i) Under the scheme only those books in Hindi which are original work of the authors are accepted for award.
- (ii) Translated books are not accepted.
- (iii) Under the scheme, books published during 01 April, 2009 to 31 March, 2010 are acceptable. Manuscripts are not accepted.
- (iv) The writer of the book must be a working/retired officer/employee of the Ministries/Departments/ their attached/subordinate offices, Public Sector Undertakings including Banks, Financial Institutions of the Central Government and Autonomous Bodies, Universities, Educational and Training Institutes owned or controlled by the Central Government. In this regard a certificate in the proforma at Annexure 'B' is required from the author of the book. Attestation and recommendations in the prescribed Proforma as at Annexure 'C' be forwarded to this department by the head of department/office of the in-service/retired officer/employee.
- (v) The subject matter of the book must be related to the official work done/being done by the employee of the said offices/organisations/institutes of the Central Government. Manuals, glossaries, memoirs, poems, stories, dramas, novels etc. are not considered under this scheme.
- (vi) The book should contain at least 100 pages.
- (vii) The book should not be a textbook of curriculum of any educational or training institute.
- (viii) Author must furnish a certificate to the effect that the book is his/her original work and does not violate the copyright of any other author under the Copyright Act(As amended) 1997 .
- (ix) Three copies of the book invariably be sent with each entry.
- (x) Books received under this scheme can not be returned and no interim inquiry will be entertained.
- (xi) Expert's opinion on each original book, in the prescribed Proforma as at Annexure 'A' should be forwarded to the Department of Official Language. It is imperative that the experts are well versed in Hindi Terminology of the subject concerned and possess sound knowledge of Hindi Language. An expert can be a non-official person such as a retired officer or a working professor etc. of a University/Engineering/Medical Institutions. Claims regarding honorarium for the evaluation of books, if any, should be submitted to the administrative head of the concerned Ministry/Department/Organisation and not to the Department of Official Language.

2. The following awards are given under the scheme :-

First Prize	-	Rs. 40,000/-
Second Prize	-	Rs. 30,000/-
Third Prize	-	Rs. 20,000/-
Consolation Prize	-	Rs. 10,000/-

3. Books are evaluated by a committee, which comprises two non-official members besides the representatives of the Department of Official Language.

4. All entries must reach this Department latest by **20 August, 2010**. Entries received after the prescribed date shall not be entertained.

5. Entries may be sent at the following address :-

DEPUTY DIRECTOR (IMPLEMENTATION),
IMPLEMENTATION-2,
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE,
MINISTRY OF HOME AFFAIRS,
Room No. A-3, 'A' WING, 2nd FLOOR,
LOK NAYAK BHAVAN, KHAN MARKET,
NEW DELHI-110003

6. Information about this scheme is available on our website <http://rajbhasha.gov.in>.

(Rashmi Arora)
Director (Impl.)
Phone: 24643622

Directions for the Experts :-

1. The opinion of the expert regarding the book must be fully confidential. The experts are requested to send their recommendations in SEALED COVER ONLY.
2. Please mark the following information on the left side of the envelope :
 - (I) 'RECOMMENDATIONS : INDIRA GANDHI OFFICIAL LANGUAGE AWARD'.
 - (II) 'TO BE OPENED IN THE MEETING OF EVALUATION COMMITTEE OF THE DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE ONLY'.
 - (III) NAME OF THE BOOK :
 - (IV) NAME OF THE EXPERT :
3. Experts must give their opinion on the points mentioned in the Proforma given below. Though they are free to add other points if they so desire, yet it is imperative that the impartial opinion is given on the points prescribed in the Proforma.
4. The recommendation letter has to be forwarded to the Department of Official Language through the Administrative Head of the concerned /last office of the author.

PROFORMA REGARDING RECOMMENDATION OF BOOKS

1. Name of the Book
2. Name of the Author
3. Whether it is the first book in Hindi on the subject matter
4. Whether the facts expressed in the book are accurate and up-to-date
5. Whether originality has been maintained on the subject matter
6. Whether the author's work is endowed with up-to-date conscience and futuristic imagination
7. Whether the book is useful and interesting for a common reader
8. Any other relevant opinion
9. Overall category of the said book :-

- 'A' - above 85 % .
 'B' - 60% to 85%.
 'C' - Below 60%.

SIGNATURE OF THE EXPERT:
 NAME:
 FULL POSTAL ADDRESS WITH
 TELEPHONE NUMBER:

**INDIRA GANDHI OFFICIAL LANGUAGE AWARD SCHEME
FOR THE YEAR 2009-10 FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI**

1. (i) Name of the Author
- (ii) Designation/Former Designation
- (iii) Name of Office/Former Office & Address
- (iv) Nature of the work done/being done by the author in the office
- (v) Name of Concerned Ministry/Department
- (vi) Full Mailing Address of the Author(Including Pin Code)
- (vii) Phone No. with STD Code/Fax :
- (viii) E Mail Address of the Author

2 Name of the book

3 Subject matter of the book

4. Name & address of the Publisher

5. Year of publication : Month

6. I _____, Son/Daughter of Sh._____ have been *working in/retired from* the office etc. of central government or under the central government, hereby certify that the book is my original work and does not violate the copyrights of any other author under the copyright act(as amended), 1997.

Dated :

.....
Signature of the Author

(*Strike which is not applicable)

ANNEXURE ‘C’

**ATTESTATION & RECOMMENDATION MADE BY THE
MINISTRY/DEPARTMENT/ATTACHED/SUBORDINATE OFFICES ETC.**

The above mentioned work has been found suitable and is hereby recommended on the basis of the facts and relevant record submitted by the writer for considering it for Indira Gandhi Official Language Award for the year 2009-10 for writing original books in Hindi.

2. This is the first/second/third/fourth book recommended by this Ministry/ Department/ Office for the year 2009-10 so far.

3. The above mentioned book has not been recommended earlier under Indira Gandhi Award Scheme for writing original books in Hindi.

Dated :

Signature with Seal of Chairman, Official Language
Implementation Committee
Name :
Designation :
Ministry/Deptt./Office/Institute
Phone/Fax No. :